10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

170

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2012 जिला टीकमगढ

R-491-II/2012

1. श्रीमती रामसहेली पत्नी कमलेश्वर देवलिया, निवासी तरीचरकलॉ, तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

2. योगेश कुमार तनय हाकिम सिंह दण्डोतिया, निवासी – गोपीनाथ की पुलिया दत्तपुरा, मुरैना (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुनील कुमार तनय रघुवीर शरण गुप्ता, निवासी ग्राम राय कॉलोनी, झॉसी (उ.प्र.)
2. भागीरथ तनय किशनलाल पाल,
3. लक्ष्मीनारायण तनय किशनलाल पाल
4. मुन्नालाल तनय किशनलाल पाल,
5. श्रीपाल तनय हल्काई पाल,
6. मातादीन तनय उदईपाल,
7. वीरसिंह तनय उदई पाल,
8. केशव दयाल तनय उदई पाल, निवासी जिजौरा, तहसील – ओरछा, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी निवाडी, जिला टीमकगढ द्वारा प्रकरण 167/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 07.01.2012 से असंतुष्ट होकर भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

मान्यवर,

यह पुनरीक्षण आवेदकगण की ओर से निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है:–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :

1. ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-491-दो/2012 जिला टीकमगढ़ रामसहेली विरूद्ध सुनील

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 167/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 07-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	
18/1/19		

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । 18/1/19 (आर.के. जैन) सदस्य	